

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 24/08/2026

विषय:- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू० 1,38,19,00,000/- (रूपये एक अरब अड़तीस करोड़ उन्नीस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध अवशेष राशि रू० 15,00,00,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-660(7), दिनांक- 23.03.2024 द्वारा बिहार की जनता को गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना के रूप में सात निश्चय-2 अन्तर्गत स्थापित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर रू० 1,38,19,00,000/- (रूपये एक अरब अड़तीस करोड़ उन्नीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX) Bihar, दिनांक-22 07 2025, पत्रांक-F No 44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-19 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-580/वि०, दिनांक-30 07 2025 के द्वारा निर्माण का प्रशासनिक हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत रू० 25 00 करोड़ की राशि इस परियोजना हेतु स्वीकृत की गयी। विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-252(7), दिनांक-26 08 2025 द्वारा उक्त स्वीकृत राशि रू० 25 00 करोड़ के विरुद्ध रू० 10.00 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3- पुन. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक- F.No.44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Bihar-SACE-78, दिनांक-31 12.2025 एवं वित्त विभाग के पत्रांक-1049/वि०, दिनांक-31 12.2025 द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में राशि विमुक्त की गयी है।

4- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रू० में)	आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2024-25	45,00,00,000 /-	सं०-531(7), दिनांक-20 03 2025
2	2025-26	10,00,00,000 /-	सं०-252(7), दिनांक-26 08.2025
कुल		55,00,00,000 /-	

5- उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू० 1,38,19,00,000/- (रूपये एक अरब अड़तीस करोड़ उन्नीस लाख) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 Under Part-I" अंतर्गत द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त राशि के विरुद्ध अवशेष राशि रू० 15,00,00,000 (पन्द्रह करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-660(7), दिनांक-15.03.2024 में वर्णित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7- इस पर होने वाले व्यय का वहन मॉग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0111-मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-4210011100111 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य कार्य के 0111-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

8- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632/वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि०, दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26" के लिए पूँजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्रांक-1049/वि०, दिनांक-31.12.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगा एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगा।

11- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि०(2), दिनांक-31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक-28.07.2022, पत्रांक-6439/वि०, दिनांक-28.08.2018 एवं पत्रांक-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।


12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

13- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/MCH-35-46/2023 के पृष्ठ-25/26/टि० पर प्राप्त है।

15- यह मात्र व्ययादेश है आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापनांक-7/MCH-35-46/2023 - 90 (7A)

पटना दिनांक- 04/02/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/कुलपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आईटी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के आर. सचिव।

24